FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0059 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/04/2024 20:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 12:35 बजे **Time To (समय तक):** 11:28 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/04/2024 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/04/2024 20:58:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** FRUNT SAIDE OF NAGER PALIKA, RAWATBHATA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANTOSH KUMAR VAISHNAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHANDAS

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE SHRIPURA, RAWATBHATA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE SHRIPURA, RAWATBHATA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8003187724

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAVINDRA KUMAR MEENA		पिता:BABULAL MEENA	1. VILLAGE BORDA,MANGROL,BARAN,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 12.04.2024 को ब्यूरो मुख्यालय से जर्ये दूरभाष नं. 0141-2712263 से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया व बताया कि परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र श्री मोहनदास, जाति वैष्णव, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तोडगढ द्वारा मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर 1064 पर अपने मोबाईल नम्बर 8003187724 से कॉल कर अवगत कराया है कि परिवादी से उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में शुद्धीकरण करवाने की एवज में पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा द्वारा विरश्वत की मांग की जा रही है। अतः आप परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें। समय 0140 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री संतोष कुमार से उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो परिवादी द्वारा ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर 1064 पर बताए गए तथ्यों की पुष्टी की, इस पर परिवादी को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा आकर प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समझाईश की गई तो परिवादी ने कोटा आने में असमर्थता जाहिर करते हुए दिनांक 13.04.2024 को रावतभाटा में ही मिलने हेतु निवेदन किया। दिनांक 13.04..2024 समय 1101 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव से उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं आपको रावतभाटा से पहले ही बाडोलिया महादेव मंदिर के सामने मिल जाउंगा आप रावतभाटा आ जाओ। समय 1120 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर ICD-UX560F मय मैमोरी कार्ड हमराह लेकर मय श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री लालचंद कानि. 30 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु बाडोलिया महादेव मंदिर रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ हेतु रवाना हुआ। समय 1235 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड बाडोलिया महादेव मंदिर रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ के बाहर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव मय अपनी मोटर साईकिल के मौजूद मिला। परिवादी से वार्ता करने पर परिवादी द्वारा एक प्रार्थना हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं ग्राम श्रीपुरा, पंचायत समिति भैंसरोडगढ, तहसील रावतभाटा का रहने वाला हूं। मेरी जमीन ग्राम श्रीपुरा में है। मेरी खातेदारी की जमाबंदी में मेरे नाम के आगे पुत्र की जगह पुत्री लिखा होकर आगे मेरे पिता का नाम है मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरे नाम के आगे पुत्री की जगह पुत्र करवाने अर्थात रिकॉर्ड में शुद्धीकरण करने हेतु हमारे हल्का पटवारी श्री रविन्द्र कुमार मीणा मेरे से 5,000 रु रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उससे जब भी मिला तो वह कहता है कि पांच हजार देगा तब ही तेरे नाम का शुद्धीकरण होगा। मैं पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी पटवारी से कोई पुरानी लेन-देन बकाया नही ना ही उससे कोई दुश्मनी है। रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सेवा में पेश है। समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढ़कर सुनाया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना व प्रार्थना प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। परिवादी ने दरयाफ्त पर बताया कि मेरी स्वयं की खातेदारी की जमीन के खाता सं. 176 तथा 263 की जमाबंदी में मेरा स्वयं का नाम संतोष पुत्री मोहन दास रिकॉर्ड में दर्ज होने से मेरे नाम के आगे पुत्री की जगह पुत्र करवाने हेतु मैंने शिविर में प्रार्थना पत्र मय रेवेन्यु रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां तहसीलदार साहब रावतभाटा के नाम दिया था जो तहसीलदार जी ने नाम शुद्धीकरण हेतु हमारे हल्का पटवारी श्री रविन्द्र कुमार मीणा को दे दिया था, जो अब तक भी मेरे रिकॉर्ड में नाम शुद्धीकरण नही कर रहा है व 5,000 रु रिश्वत की मांग कर रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिवादी से किए गए दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग से सम्बंधित होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी में आना पाए जाने पर समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री संतोष कुमार को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर ICD-UX560F मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर उसे चलाने व बन्द करने का तरीका भली-भांति समझाया गया तथा परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी, पटवार हल्का श्रीपुरा से सम्पर्क कर आपके पेंडिग कार्य एंव आरोपी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवार्य एवं परिवादी के हमराह भिजवाए जाने वाले श्री लाल चंद कानि. 30 की आवाज सत्यापन हेतु रवाना होने के सम्बंध में डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री लाल चंद कानि 30 को परिवादी से निश्चित दूरी बनाए रखने हुए सत्यापन वार्ता के दौरान यथा सम्भव निकटतम उपस्थित रहकर निगरानी करने के निर्देश दिये। बाद गोपनीय सत्यापन परिवादी व कानि. को वापिस आने की समझाईश कर रिश्वत मांग के गोपनीय

सत्यापन हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.05 पी.एम. पर परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव मय श्री लाल चंद कानि. 30 के हमराह वापस बाडोलिया महादेव मंदिर रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ के बाहर आया एवं बताया कि मैं तथा श्री लालचंद जी रवाना होकर नगर पालिका रावतभाटा के सामने मैन रोड पर पहुंचे। श्री लाल चंद कानि. नगर पालिका के थोडा साईड में ही रूक गये थे। मैंने रिकार्डर चालू करके श्री रविन्द्र पटवारी को फोन किया तो उसने वहीं रुकने के लिए कहा। थोडी देर बाद श्री रविन्द्र कुमार पटवारी अपनी स्कूटी से मेरे पास आया तथा मुझे उसकी स्कूटी पर बैठाकर मेरे पेंडिंग कार्य व रिश्वत के सम्बंध में वार्ता करता हुआ पास ही स्थित चाय की गुमटी पर ले गया, जहां पर उसने मेरे पेंडिंग कार्य एवं दिगर कार्य व रिश्वत के सम्बंध में बातचीत की थी। उसी दौरान लाल चंद जी भी हमारे से थोडी दूरी पर खड़े होकर हमारी निगरानी कर रहे थे। पटवारी द्वारा मेरे नाम के सम्बंध में रेवेन्यू रिकार्ड में शुद्धीकरण करने की एवज में 5,000 रु रिश्वत की मांग की है मैने उससे पैसे कम करने हेतु कहा तो उसने कहा कि ये आलू की दुकान नहीं है पैसे कम नही होंगे। मैंने पैसे लेन-देन का समय पूछा तो बताया कि तेरे पास पैसे हो तब लेकर आ जाना। मैंने फोन पे पर पैसे डालने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। फिर वह मुझे नगर पालिका के सामने छोडकर चला गया। आपका जवान लालचंद भी मेरे पास आ गया, जिसने रिकार्डर को बंद कर दिया था। मैने उक्त सारी बात लालचंद जी को बताई। फिर हम दोनो रवाना होकर आपके पास आए हैं जो वार्ता मेरे व श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के मध्य हुई है वह डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। कानि. श्री लाचचंद द्वारा भी उक्त तथ्यों की ताईद की गई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टि होकर परिवादी के कथनो की ताईद हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर स्वयं के कब्जे सुरक्षित रखा गया। फर्द प्राप्ती डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.30 पी.एम. पर मन अति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रु की व्यवस्था करने के सम्बंध में वार्ता करने पर बताया कि मैं कल सुबह तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रु की व्यवस्था कर लूंगा। मैं कोटा नही आ सकता आप ही कार्यवाही हेतु आ जाना मैं आपको ग्रांम जावराकलां से थोडा पहले मिल जाउंगा। अतः मन अति पुलिस अधीक्षक परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की गोपनीयता बनाए रखने हेतु समझाईश कर मय जाप्ता मय साथ लाए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सरकारी वाहन कोटा रवाना हुआ। समय 04.00 पी.एम. मन अति पुलिस अधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय जाप्ता मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी वाहन मय चालक श्री घनश्याम मीणा कानि. चौकी भ्र.नि.ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा पहुंचा। डीवीआर व मैमोरी कार्ड को स्वयं के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। समय 05.30 पी. एम. पर परिवादी श्री संतोष कुमार द्वारा दिनांक 14.04.2024 को सुबह तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रु व्यवस्था करने के लिए कहा, इसलिए ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 14.04.2024 को सुबह ही किए जाने की संभावना होने व सुबह स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध होने में कठिनाई हो सकने से दो स्वतंत्र गवाहान की उपलब्धता दिनांक 14.04.2024 को समय 830 ए.एम. पर सुनिश्चित करने हेतु अधीक्षक एसबीएस अस्पताल कोटा के नाम तहरीर श्री लालचंद कानि. देकर रवाना किया गया। समय 06.00 पी. एम. पर श्री लालचंद कानि. अधीक्षक एमबीएस हास्पीटल कोटा का पत्र क्रमांक 531 दिनांक 13.04.2024 लेकर उपस्थित कार्यालय आया। जिसमें श्री बृज बिहारी नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री इम्तियाज आलम तकनीकी सहायक केन्द्रीय प्रयोगशाला एमबीएस हास्पीटल कोटा को दिनांक 14.04.2024 को समय 0800 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया है। प्राप्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। कार्यालय स्टाफ एवं श्री असलम खान सउनि कोटा देहात, श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा रेन्ज कोटा एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 एसीबी कोटा को भी दिनांक 14.04.2024 को. समय 0900 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 14.04.2024 समय 09.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री इम्तियाज आलम पुत्र श्री लुकमान हकीम जाति खेलदार मुसालमान, उम्र 45 साल निवासी मकान नं. 47-ए, गली नं.-2 कैसरबाग पुलिस लाईन कोटा, हाल तकनीकी सहायक केन्द्रीय प्रयोगशाला, महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा तथा श्री बृजबिहारी नागर पुत्र श्री रामदेव जाति धाकड, उम्र 40 साल निवासी रविन्द्र कालोनी, नैनवा, जिला बूंदी हाल नर्सिंग अधिकारी महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। पाबन्दशुदा श्री असलम खान ए.एस.आई. एसीबी कोटा देहाल एवं श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 कार्यालय उप महानिरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा रेंज, कोटा एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 एसीबी कोटा एवं कार्यालय का जाप्ता भी कार्यालय पर उपस्थित आये समय 09.50 ए.एम. पर ट्रेप बॉक्स में से फिनोथफलीन पाउडर की शीशी जयै लालचन्द कानि 30 से निकलवायी जाकर सरकारी वाहन टैवेरा के डैक्सबार्ड में रखवाई गई। समय 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री बृज बिहारी नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री इम्तियाज आलम तकनीकी सहायक, एसीबी जाप्ता श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री असलम खान ए.एस.आई., श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री दिलीप कुमार कानि. 401, श्री करण सिंह सहायक प्रशानसनिक अधिकारी मय लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम के कार्यालय हाजा से रावतभाटा हेतु रवाना हुआ। श्री लालचन्द कानि. 30 एवं श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 को सरकारी मोटरसाईकिल से वाहन टैवेरा के साथ चलने हेतु समझाईश कर रवाना किया गया। समय 11.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के मय सरकारी वाहन के परिवादी द्वारा बताये अनुसार ग्राम जावरा कला पेट्रोल पम्प से पहले पहुंचा। श्री लालचन्द कानि. 30 एवं श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 भी साथ ही मोटरसाईकिल से उक्त स्थान पर पहुंचे। पाबन्दशुदा परिवादी श्री संतोष कुमार उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर गवाह बनने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने- अपने हस्ताक्षर किये। मन् अ०पु०अ० द्वारा स्वयं के कब्जे में रखे डी०वी०आर० मय मैमोरी कार्ड को चलाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता उपस्थित दोनों गवाहान को परिवादी के समक्ष सुनाकर रिश्वत मांग के सम्बन्ध में पुष्टि होने बाबत् संतुष्टि करवाई गई। परिवादी द्वारा शुद्धिकरण के सम्बन्ध में पूर्व में प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतभाटा को देने बाबत् बताया। समय 11.30 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र मोहनदास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चितौडगढ़ ने अपने पास से निकालकर 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये भारतीय मुद्रा के मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GT188668 2. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5VM073704 3. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9UP735364 4. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2WC882970 5. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0FN326768 6. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6FU4985607 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1EH890884 8. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5ES425898 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PW721911 10. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2DT238113 उपरोक्त गवाहान के समक्ष सभी नोटों पर वाहन सरकारी टवेरा नं. आर जे 14 यूसी 8905 के डेशबोर्ड में रखी फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से निकलवाई जाकर दो सफेद कागजों को मिलाकर उनके ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर श्री अब्दुल सत्तार कानि. से पाउडर भली भांति उक्त नोटो पर इस प्रकार लगवाया गया कि पावडर की उपस्थित अदृश्य एवं प्रभावी रहे। गवाह श्री इम्तयाज आलम से परिवादी श्री संतोष कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायी जेब में रखवाये गये। तत्पचात् ट्रेप बाक्स में से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसमें बोतल में से साफ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टान्त देकर फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की उपयोगिता एवं महत्व को सभी हाजरीन को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। प्रक्रिया में प्रयुक्त सफेद कागजों व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो के घोल को फिकवाया जाकर को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी को देकर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को वापिस कोटा रवाना किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध कर्मचारी से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को छुर्वे। संदिग्ध द्वारा मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नं. 8802414929 पर मिस कॉल कर इशारा करे। कार्यवाही में काम में आने वाले कांच की शीशीयो मय ढक्कन को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे । इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसकी पहनी हुई पेन्ट की साइड की बाई जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे । समय 11.58 ए.एम. परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन हेतु आरोपी की लोकेशन मालूम करने हेतु परिवादी श्री संतोष के मोबाईल नम्बर 8003187724 से आरोपी श्री रविन्द्र पटवारी के मोबाईल नम्बर 7737252437 पर कॉल करवाकर परिवादी की आरोपी से वार्ता करवाई गई तो आरोपी द्वारा परिवादी को नगर पालिका रावतभाटा के सामने मिलने के लिए बुलाया गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर सरकारी डी०वी०आर० मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड स्वतंत्र गवाहान के समक्ष किया गया। समय दोपहर 12.00 बजे परिवादी श्री संतोष को स्वयं की मोटरसाईकिल से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा से मोबाईल पर हुई वार्तानुसार बताये गये स्थान के लिए आरोपी से रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया गया। परिवादी की निगरानी हेतु श्री लालचन्द कानि. एवं श्री मुकेश हैड कानि. को कार्यालय की सरकारी मोटरसाईकिल से पीछे-पीछे रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं शेष एसीबी जाप्ता के सरकारी वाहन टैवेरा से पीछे-पीछे रवाना होकर नगर पालिका रावतभाटा से लगवा महादेव मंदिर के पास पहुचां । श्री लालचन्द कानि व श्री मुकेश कुमार हैड कानि को नगर पालिका के सामने रोड की दुसरी

तरफ मय मोटर साईकिल से निगरानी हेतु मुकिम किया तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाहान शेष जाप्ता सहित महादेव मंदिर की दिवार की आड में उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए। समय 12.28 पीएम पर परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र मोहनदास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी श्रीपुरा, तहसील रावतभाता, जिला चितौडगढने पूर्व निर्धारित इशारा सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय टीम के तेज-तेज कदमों से चलते हुये परिवादी के पास नगर पालिका रावतभाटा के सामने रावतभाटा से कोटा से ओर जाने वाली सडक पर पहुंचा। जहां पर परिवादी के साथ एक व्यक्ति उपस्थित था, जो मन् अति. पुलिस अधीक्षक तथा टीम के सदस्यों को देखकर अपनी मोटर साईकिल नं. आरजे 28 एसएम 7253 होण्डा शाईन बरंग काला को स्टार्ट कर भागने लगा, जिसे हमराह टीम के सदस्य श्री लालचंद कानि. 30 व मुकेश हैड कानि. 85 को हमराह लाई गई मोटर साईकिल आडे लगाकर रोका तो वह व्यक्ति मोटर साईकिल सहित गिर गया, जिसे जाप्ते की इमदाद से पकड़ा गया। परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने उस व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी जी हैं, जिन्होने मुझसे अभी-अभी मेरे रेवन्यू रिकार्ड में शुद्धीकरण करने की एवज में रिश्वत राशि 5000 रुपये अपने साथ लाए सफेद लिफाफे में रखवाकर लिफाफे को प्राप्त किया, फिर इन्होने उस लिफाफे में रखे नोटो को एक बार हाथ से बाहर निकाला व वापिस लिफाफे में रखकर अपनी मोटर साईकिल के टोपे में रखा उसी समय आपको व टीम को आते देखकर यह अपनी मोटर साईकिल से भागने लगा, जिसको आप लोगो ने मोटर साईकिल आडे लगाकर पकडा तो पकडते वक्त यह मोटर साईकिल से गिर गया था। इन्होने मुझसे जो भी बातचीत की है वह डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त पकडे गए व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल, जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ होना बताया। रुबरु गवाहान, परिवादी व एसीबी जाप्ता मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा से परिवादी श्री संतोष कुमार से ली गई रिश्वत राशि 5000 रुपये के बारे में पूछा तो श्री रविन्द्र सिंह मीणा ने बताया कि मैने संतोष कुमार से कोई रिश्वत नही ली, न ही रिश्वत की मांग करी। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि हमारे खातेदारी के रेवेन्यु रिकार्ड में मेरे नाम के आगे पुत्र नहीं लिखा होकर पुत्री लिखा हुआ है, उक्त नाम में शुद्धीकरण हेतु मैने प्रार्थना पत्र करीब 02 महीने पहले शिविर में तहसीलदार साहब रावतभाटा को दिया था, जिन्होने पटवारी श्री रविन्द्र जी को उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु दिया था तब पटवारी जी ने कहा कि 5000 रु खर्चा लगेगा, लेकिन मैने तब इनको 5,000 रु नहीं दिए, उसके बाद भी में इनसे मिला तो तो ये मेरे से कहते रहे कि खर्चा पानी के बगैर काम नही होगा। इस पर मैने परेशान होकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर दिनांक 12.04.24 को शिकायत की थी, उक्त शिकायत के बाद कल दिनांक 13.03.24 को मैं आपसे मिलकर प्रार्थना पत्र आपको दिया था आप द्वारा रिश्वत मांग का कल दिनांक 13.04.24 को ही गोपनीय सत्यापन करवाया तब भी इन्होने नाम शुद्धीकरण करने की एवज में मेरे से 5,000 रूपयेरिश्वत की मांग की थी व अभी थोडी देर पहले श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी जी ने मेरे से नाम शुद्धीकरण करने की एवज में रिश्वत राशि 5000 रुपये अपने साथ लाए सफेद लिफाफे में रखवाकर लिफाफे को प्राप्त किया, फिर इन्होने उस लिफाफे में रखे नोटो को एक बार हाथ से बाहर निकालकर देखा व वापिस लिफाफे में रखकर 5000 रु रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी मोटर साईकिल के टोप में रखकर यह अपनी मोटरसाईकल सहित भागने लगा, जिसको आपकी टीम के सदस्यों ने मोटर साईकिल आडे लगाकर रोका तब इसके मोटरसाकिल सहित गिरने पर आप लोगो ने पकडा, रिश्वत में ली गई रिश्वती राशि का लिफाफा भी इसकी मोटरसाईकिल के टोपे के पास ही पड़ा है। इस पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिफाफे में रखवाकर प्राप्त करना स्वीकार किया । चूंकि आरोपी ने परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 5,000 रुपये लिफाफे में रखवाकर प्राप्त करना व रिश्वत राशि को अपने हाथ से छूकर लिफाफे में रखना स्वीकार किया है, इसलिए उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे को गवाह श्री बृजबिहारी नागर से उठवाकर उसी के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त स्थान आम रोड होने से कानून व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुये कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आंशका होने से उपयुक्त स्थान कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ पहुंचने हेतु आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा का दाहिना हाथ श्री लालचंद कानि. 30 एवं बायां हाथ श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 से कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर आरोपी को सरकारी वाहन टवेरा के मध्य वाली सीट पर मध्य में बिठाया जाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व गवाहान रवाना हुआ तथा आरोपी की मोटर साईकिल को श्री दिलीप कुमार कानि. 401 व सरकारी मोटर साईकिल को किशन लाल उप निरीक्षक को वाहन टवेरा के पीछे-पीछे कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा पहुंचने व परिवादी को उनके वाहन मोटर साईकिल से कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा आने हेतु कहा गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय आरोपी के दोनों हाथों को कलाई के उपर से पकड़वाये हुये मय टीम व परिवादी के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा पहुंचा, जहां श्री दिलीप कुमार व किशनलाल व परिवादी भी उक्त वाहनो से पहुंच गए। कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा के एक कक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जयें दूरभाष सहमति अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा से चाही गई तो अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा द्वारा कार्यालय के एक कक्ष में ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सहमति दी गई। जिस पर आरोपी श्री रविन्द्र सिंह मीणा को उसके

दोनों हाथ पकड़वाये हुये को तसल्ली देकर एक कुर्सी पर बिठाया गया। गवाह श्री बृज बिहारी नागर के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि के नोटों को गवाह से गिनवाया गया तो गवाह श्री बृज बिहारी द्वारा उक्त नोटों को गिनकर 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये होना बताया गया। तत्पचात् दूसरे गवाह श्री इम्तियाज आलम को गोपनीय स्थान पर बनाई गई फर्द पेशकसी देकर दोनों गवाहान को उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशीमें अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो हुबहु रिश्वती नोट होना पाया गया। बरामदशुदा भारतीय मुद्रा की रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GT188668 2. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5VM073704 3. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9UP735364 4. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2WC882970 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FN326768 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FU498560 7. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1EH890884 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5ES425898 9. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5PW721911 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DT238113 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5,000 रुपये को एक पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पचात् आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा में रखे पानी के केम्पर में से एक साफ बोतल में पानी भरवाकर मंगवाया गया। तीन साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पानी भरवाया जाकर तीर्नो गिलासों में सोडियम कार्बनेट पाउडर की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो तीनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश RH-1, RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश LH-1,LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तीसरे गिलास में आरोपी द्वारा जिस सफेद लिफाफे में रखवाकर रिश्वती राशि प्राप्त की है, उस लिफाफे का धोवन सैम्पल लेने हेत एक रुई के फोहे को बोतल के साफ पानी में गीला कर रुई के फोहे से लिफाफे के अंदर से रगडकर रुई के फोहे को डुबोया गया तो गिलास के घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाकर मार्क LW-1,LW-2 दिया गया। रुई के फोहे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील चिट मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। शील्ड पैकिट को मार्क C दिया गया तथा सफेद फिफाफे को भी एक सफेद कपडे की थैली में रखवाया जाकर को सील चिट मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। शील्ड पैकिट को मार्क L दिया गया। आरोपी द्वारा अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता की है, इसलिए आरोपी के मोबाईल टच स्क्रीन रियल मी कम्पनी बरंग क्रीम कलर, मॉडल नम्बर रियल मी RMX3780, IMEI1. no. 860679061219234/34 IMEI2, no. 860679061219226/43 सिम कॉलींग नम्बर 1. 7737252437, सिम कालिंग 2. 6377697571 को कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत व अनुसंधान में वांछित होने से जब्त कर एक पीले लिफाफे में रखकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा स्वयं की मोटर साईकिल पर नगर पालिका रावतभाटा के सामने आकर परिवादी से रिश्वत राशि लिफाफे में रखवाकर ग्रहण कर स्वयं की मोटर साईकिल आर जे 28 एस एम 7253 होण्डा शाईन बरंग काला से रिश्वत राशि का लिफाफा लेकर भागने का प्रयास करने में उक्त मोटर साईकिल को प्रयुक्त किया गया, इसलिए उक्त मोटर साईकिल जो आरोपी के कब्जे में थी व हमराह कानि दिलीप कुमार के जर्ये कार्यवाही स्थल पर लाई गई है, को कार्यवाही में वांछित होने से पृथक से जप्त किया जाएगा। इस प्रकार आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री संतोष कमार वैष्णव से परिवादी के रेवन्यू रिकॉर्ड में परिवादी के नाम के आगे पुत्री के स्थान पर पुत्र करने अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में शुद्धीकरण करवाने की एवज में परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 13.04.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया जिसमें आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत मांग कर परिवादी के पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर रिश्वती राशि लेने हेतु सहमत हुआ। उक्त पर दिनांक 14.04.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव से 5,000 रुपये स्वयं द्वारा लाए गए सफेद लिफाफे में रखवाकर रिश्वत राशि 5000 रुपये अपने साथ लाए सफेद लिफाफे में रखवाकर लिफाफे को प्राप्त किया, फिर इन्होने उस लिफाफे में रखे नोटो को एक बार हाथ से बाहर निकाला व वापिस लिफाफे में रखकर बतौर रिश्वत प्राप्त की गई। रिश्वत राशि 5,000 रुपये आरोपी की मोटर साईकिल के पास लिफाफे में रखी हुई आरोपी के कब्जे से बरामद हुई। आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ का उक्त धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है, अतः आरोपी को पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द

बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़ कर सुनाई गई। सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 0405 पीएम परिवादी श्री संतोष कुमार की कृषि भूमि ग्राम श्रीपुरा की जमाबन्दी की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाने एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी श्रीपुरा का सेवा विवरण चाहने हेतु पृथक-पृथक पत्र तहसीलदार रावतभाटा के नाम जारी कर आमदा तहसीलदार को दिये गये। समय 0410 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, व लेन-देन के वक्त हुई वार्ता में उसकी आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से करवाये जाने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया तो आरोपी द्वारा मूल नोटिस पर ही स्वयं के हस्तलेख से स्वेच्छा आवाज का नमूना देने हेतु लिखकर नोटिस दिया गया नोटिस पर आरोपी द्वारा खुद कलमी लिखित जबाव दिया कि मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना सैम्पल नही देना चाहता नोटिस को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 0420 पीएम पर प्रकरण हाजा में पृथम दृष्टया आरोपी श्री रविन्द्र कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाए जाने व प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी की जाना आवश्यक होने से सीआरपीसी की धारा 41 (1) (बी) के प्रावधानों अनुसार चेकलिस्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 0430 पीएम पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव से पांच हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर पांच हजार रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना व बतौर रिश्वत पांच हजार रूपये ग्रहण करना, रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी रविन्द्र कुमार मीणा के विरुद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होने से मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी में कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से मुर्तिब की गई। गिरफतारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार पत्नी अनुजा कुमारी को दी गई। समय 0440 पीएम पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा को दौराने कार्यवाही पूछताछ पर स्वेच्छा से गोपनीय रुप से सूचना दी कि परिवादी श्री संतोष कुमार द्वारा राजस्व रिकार्ड में शुद्धीकरण हेतु सिविर में दिनांक 01.02.2024 को तहसीलदार साहब रावतभाटा को पेश प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी द्वारा नाम शुद्धीकरण करने हेतु परिवादी सं. 02 दिनांक 01.02.24 मार्क कर मुझे दिया था परिवादी का वह प्रार्थना पत्र रेवेन्यु रिकार्ड की फोटो प्रतियों सहित मैंने मेरे किराए के कमरे, मकान नं. 388, गणेश नगर, रावतभाटा पर रखे मेरे काले रंग के बैग में रख रखा है, जिसे मैं चलकर बरामद करा सकता हूं। फर्द सूचना धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियमानुसार मुर्तिब की जाकर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुताबिक फर्द सूचना के बरामदगी हेतु मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी व जाप्ता श्री किशनलाल उ.नि., श्री लालचन्द कानि., श्री मुकेश कुमार हैड कानि., आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मय सरकारी वाहन व चालक के आरोपी के किराये के कमरे गणेश नगर हेतु रवाना हुआ। समय 0500 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, रावतभाटा से मय उक्त गवहान मय जाप्ता श्री किशन लाल उप निरीक्षक, श्री लालचंद कानि. 30, श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 वाहन सरकारी टवेरा मय चालक श्री घनश्याम मीणा के मुताबिक सूचना रवाना होकर गणेश नगर रावतभाटा पहुंचा, जहां हमराही जाप्ते को मकान के बाहर ही रोका गया। आरोपी रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी ने मकान नं. 388 की तरफ ईशारा कर उक्त मकान में ही अपना किराए का रिहायशी कमरा बताते हुए वाहन सरकारी से नीचे उतरा व गवाहान की उपस्थित में आगे-आगे चलकर अपने किराए के रिहायशी कमरे के अंदर ले गया तथा कमरे की दाहिनी दीवार के सहारे फर्श पर पड़े काले रंग के बैग में से मुताबिक फर्द सूचना एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र जो परिवादी श्री संतोष कुमार द्वारा तहसीलदार साहब रावतभाटा को सम्बोधित है में खाता सं. 176 व 263 मे नाम संतोष पुत्र मोहन लाल दर्ज करवाने हेतु पेश किया गया था को मय रेवेन्यू रिकार्ड व अन्य पत्रादि की फोटो प्रतियां 10 वर्क निकाल कर पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही हाजा में वांछित होने से प्रार्थना पत्र रिकार्ड के फोटो प्रतियों सहित बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के संलग्न रिकार्ड पर सम्बंधित के हस्ताक्षकर करवाए गए। फर्द बरामदगी परिवादी द्वारा नाम शुद्धीकरण हेतु तहसीलदार रावतभाटा को पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.04.2024 समय 0515 पीएम पर रुबरु गवाहान मुन्दरजा फर्द बरामदगी स्थल श्री इम्तियाज आलम व श्री बृजबिहारी नागर व बमौजूदगी आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र बाबुलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया गया। फर्द बरामदगी स्थल पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता में से श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बरामदगी स्थल आरोपी के मकान की खाना तलाशी में इमदाद हेतु छोड़ा जाकर शेष हमराह जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान व आरोपी के कार्यवाही हाजा के घटनास्थल हेतु रवाना हुआ। समय 0533

पीएम मन् अ०पु०अ० आरोपी के किराये के मकान बरामदगी स्थल से रवाना होकर मय गवाहान, जाप्ता व आरोपी के मय सरकारी वाहन कार्यवाही हाजा के घटनास्थल नगर पालिका के सामने आम रोड पर पहुंचा। जहां पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री संतोष कुमार मौजूद मिला। समय 0540 पीएम पर रूबरू गवाहान सर्व श्री इम्तियाज आलम व श्री बृजबिहारी नागर बमौजूदगी फरियादी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री मोहनदास वैष्णव निवासी श्रीपुरा व उपस्थिति आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका बनाया गया। फर्द निरीक्षण व नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 0555 पीएम मन् अ.पु.अ. मय हमराह जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी मय सरकारी वाहन के घटनास्थल से रवाना होकर समय 0605 पीएम पर कार्यालय अ.पु.अ. रावतभाटा पहुंचा, जहां पर तहसीलदार, रावतभाटा, चितौडगढ़ को पूर्व में जारी पत्रों की पालना में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा का सेवा विवरण व क्रमांक विशेष 01 दिनांक 14.04.2024 के संलग्न परिवादी की भूमि के खाता संख्या 176 व 263 की जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रतियां पेश की। जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 0610 पीएम पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा स्वयं की जिस मोटरसाईकिल से नगर पालिका रावतभाटा के सामने आकर परिवादी से रिश्वत राशि लिफाफे में रखवाकर ग्रहण कर आर.जे.28 एस.एम. 7253 से रिश्वत राशि का लिफाफा लेकर भागने का प्रयास करने में प्रयुक्त की गई, जो आरोपी के कब्जे में थी, व हमराह कानि. के जरिये कार्यवाही स्थल पर लाई गई थी, को कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ति मोटर साईकिल नियमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त मोटर साईकिल को सुरक्षा की दृष्टि से थाना रावतभाटा को सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी रावतभाटा के नाम तहरीर दी जाकर श्री लालचन्द कानि 30 को मय जप्तशुदा मोटरसाईकिल के थाना रावतभाटा रवाना किया। समय 06.25 पीएम पर श्री लालचन्द कानि 30 थाना रावतभाटा पर रवानाशुदा जप्तशुदा आरोपी की मोटरसाईकिल को थाना रावतभाटा पर सुपुर्द कर प्राप्ती रसीद तहरीर पर प्राप्त कर लाया प्राप्ती रसीद तहरीर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र श्री मोहनदास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के मध्य दिनांक 13.04.2024 को हुई थी, उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय के लेपटोप में श्री दिलीप कुमार कानि. 401 के द्वारा यू.एस.बी. पोर्ट से अटैच करवाया जाकर लेपटोप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रासक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी की होना एवं अन्य की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र श्री मोहनदास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के मोबाईल नम्बर 8003187724 से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के मोबाईल नम्बर 7737252437 पर दिनांक 13.04.2024 को समय 1158 एएम पर करवाई गई मोबाईल वार्ता को लेपटोप के स्पीकर चालू कर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रासक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी की होना पहचान की। समय 1050 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव पुत्र श्री मोहनदास जाति वैष्णव उम्र 44 साल निवासी श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के मध्य दिनांक 14.04.2024 को हुई थी, उक्त वार्ता को लेपटोप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर वार्ता की हुबहु फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी की होना पहचान की। समय 1115 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड की गई वार्ताएँ (1) दिनांक 13.04.2024 को परिवादी श्री संतोष कुमार को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की सिखलाई की प्रक्रिया के दौरान की गई रिकार्डिंग फाईल नम्बर 240413_1304 (2) दिनांक 13.04.2024 को परिवादी श्री संतोष कुमार एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर 240413_1331 (3) दिनांक 13.04.2024 को रिकार्ड हुई टेस्टिंग फाईल नम्बर 240413_1535(4) दिनांक 14.04.2024 को परिवादी श्री संतोष कुमार के मोबाईल से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के मोबाईल पर करवाई गई वार्ता फाईल नम्बर 240414_1159 (5) दिनांक 14.04.2024 को परिवादी श्री संतोष कुमार एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता फाईल नम्बर 240414_1216,

उक्त पांचर्चा वार्ताओं/रिकार्डिंग्स को कार्यालय के सरकारी लेपटोप जिसमें लाईसेंसी एन्टी वायरस इन्स्टॉल है, जो इस लेपटोप में संधारित है, उससे उक्त डाटा को स्केन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर नहीं होना पाया गया। लेपटोप से उक्त वार्ताओं/रिकार्डिंग्स की एक-एक कर 04 पेन ड्राईव में क्लोनिंग करवाई गई। प्रथम पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय पेन ड्राईव आवाज नमूना कार्यवाही के लिये, तृतीय पेन ड्राईव आरोपी के लिये अलग-अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड sandisk mircoSDHC Card 16 GB की हेश वेल्यू निकाली जाकर पी.डी.एफ. प्रिन्ट लिया गया, जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सरकारी लैपटोप से निकाल कर उसमें लगे मैमोरी कार्ड को रिकार्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखवाया जाकर मैमोरी कार्ड को मय कवर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द क्लोनिंग पेन ड्राईव व जप्ती पेन ड्राईव व मैमोरी कार्ड नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 15.04.2024 समय 1230 एएम पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु श्री मुकेश कुमार हैड कानि. को जरिये तहरीर राजकीय चिकित्सालय रावतभाटा मय सरकारी वाहन मय चालक श्री घनयाम के रवाना किया गया। समय 0100 एएम पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि. बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी के राजकीय चिकित्सालय रावतभाटा से मय सरकारी वाहन मय चालक श्री घनश्याम के वापस आया। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 0205 एएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के साथ लाये वाहनो से मय जब्तशुदा रिश्वत राशि 5,000 रुपये का लिफाफा, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयो, आरोपी का मोबाईल जब्तशुदा, क्लोनशुदा 04 पेनड्राईव (03 शील्डशुदा व 01 अनशील्ड), मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकिट मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से कार्यालय एसीबी एसयू कोटा हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव को उनके निवास हेतु रुखसत किया गया। समय 0330 एएम पर पूर्व का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के साथ लाये वाहनो से मय जब्तशुदा रिश्वत राशि 5,000 रुपये का लिफाफा, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयो, आरोपी का मोबाईल जब्तशुदा, क्लोनशुदा 04 पेनड्राईव (03 शील्डशुदा व 01 अनशील्ड), मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकिट मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स के कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पहुंचा। समस्त जब्तशुदा व बरामदशुदा माल/रिकार्ड मालखाना प्रभारी श्रीमति सरोज महिला हैड कानि. को सम्भलाये जाकर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को सकुशल रुखसत किया गया। आरोपी को रात्रि सुरक्षा हेतु थाना नयापुरा कोटा की हवालात में बन्द करवाने हेतु श्री मुकेश कुमार हैड कानि. व श्री लालचन्द कानि. के साथ मय सरकारी वाहन रवाना किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा परिवादी श्री संतोष कुमार वैष्णव से उसके रेवेन्यु रिकार्ड में नाम के आगे पुत्री के स्थान पर पुत्र करने अर्थात रेवेन्यु रिकार्ड में शुद्धिकरण करने की एवज में 5,000 रुपये दौराने सत्यापन रिश्वत की मांग करना, ट्रेप कार्यवाही आयोजन दिनांक 14.04.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुक्रम में 5000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त करना व आरोपी को मय रिश्वत राशि गिरफ्तार कर आरोपी रविन्द्र कुमार के दोनो हाथों का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना, आरोपी द्वारा जिस लिफाफे में रखवाकर रिश्वत राशि प्राप्त की, उस लिफाफे के धोवन का रंग गुलाबी आना, आरोपी द्वारा स्वयं की आवाज का नमूना एफ.एस.एल. से परीक्षण हेतु आवाज देने हेतु दिये गये नोटिस पर आवाज का नमूना देने से मना करना, इत्यादि तथ्यों से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबुलाल, जाति मीणा, उम्र 31 साल, निवासी बोरदा तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (मुकुल शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट., कोटा..... कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट कोटा, ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबुलाल, निवासी बोरदा तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल पटवारी, पटवार हल्का श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी डॉ.प्रेरणा शेखावत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रपट 204 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक

281 -84 दिनांक 15.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2. जिला कलक्टर, चितौडगढ। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DR PRERNA SHEKHAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/04/2024 21:05:25

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/07/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)